न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–गंगापुर सिटी

मु.नं. : 17/2024	तारीख रजू 20.05.2024	निर्णय दिनांक 12.06.2024

सरकार बनाम भगवानी

:– निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उदेई कलां स ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि भगवानी पत्नि कैलाशचन्द जाति धोबी निवासी बाईजी की ढाणी पालडी मीना जयपुर सिटी ने ग्राम उदेई कलां के खसरा नं. 5459 में कुल रकबा 350 वर्गफीट किस्म गै0मु0 पाल पर संवत् 2081 में अनाधिकृत रूप से मकान बनाकर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस्त जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाव इस आशय पेश किया कि प्रार्थी को खसरा नंबर 5459 किस्म गै0मु0 पाल पर अनाधिकृत अतिक्रमण के संबंध में नोटिस्त जारी किया है। जबावकर्ता का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं है। प्रार्थी द्वारा ख0नं0 5376 रकबा 0.44 है0 में भूखण्ड संख्या 26 का आंशिक भाग क्रय किया था तथा उसी पर कब्जा काश्त है। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

उपस्थित पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल द्वारा भी अपने जबाव में उक्त भूमि में कोई अतिक्रमण नहीं करना अवगत कराया है जबकि उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा ख0नं0 5459 किस्म गै0मु0 पाल में रकबा 350 वर्गफीट में मकान बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। उभय पक्ष को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 1/– की 50 गुना शास्ति 50/–रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर'घ' के पेज संख्या ______
पर रूपये 50/– की कायमी वर्ष
2024–25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार